न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2016(रसद)
पंजीयन दिनांक 04.11.2016

राज्य सरकार जरिये रमीला डिण्डोर, प्रवर्तन निरीक्षक राशमी

..................प्रार्थी

बनाम

1-श्री बंशीलाल नायक, उचित मूल्य दुकानदार, चटावटी, तहसील राशमी
2-श्री रतनलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल हींगड़ निवासी भीमगढ़, तहसील राशमी पिकअप नम्बर RJ 09 GA 9782

................विपक्षीगण

कार्यवाहीः- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत्।

उपस्थितिः- 1- श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, राशमी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.10.2016 को उचित मूल्य दुकान, चटावटी के डीलर श्री बंशीलाल नायक द्वारा राशन के गेहूँ की कालाबाजारी करने की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, तहसीलदार राशमी, प्रवर्तन निरीक्षक राशमी एवं श्री सोहनसिंह, ए. एस. आई. थाना राशमी मय जाप्ता मौके पर पहूंचे। मौके पर पिकअप संख्या RJ 09 GA 9782 में कुल 38 कट्टे भरे हुए पकड़े गये जिसका तौल करने पर कुल वजन 2458.610 कि. ग्रा. पाया गया। कट्टे एफ. सी. आई. मार्का के पाये गये। तथ्यात्मक जांच प्रवर्तन निरीक्षक राशमी द्वारा दिनांक 09.10.2016, 11.10.2016 एवं 12.10.2016 को ग्राम चटावटी, तहसील राशमी में मौके पर की गई तथा ग्राम वासियान के बयान एवं फर्द मौका पर्चा अनुसार निम्न तथ्य पाए गए। श्री नाथूलाल/श्री टोलु खरोल के मकान मे अवैध रूप से, नियत गोदाम के अलावा रखा गया 8 कट्टे गेहूँ एफ. सी. आई. मार्का बारदान वजन 500.310 कि.ग्रा. पाया गया। श्री नाथूलाल/श्री टोलु खरोल का किराये पर लिया गया गोदाम का ताला तोड़कर सत्यापन करने पर एफ. सी. आई. बारदान के मशीन की सिलाई किए गेहूँ के 71 कट्टे पाये गये जिसका

तौल करवाने पर कुल वजन 3474.100 कि.ग्रा. पाया गया। नियत गोदाम में केरोसीन का लोहे का ड्रम में केरोसीन पाया गया जिसमें गेज से नापने पर 155 लीटर केरोसीन पाया गया। तथा लकड़ी की पेटी में केरोसीन चीनी के 13 वितरण रजिस्टर पाये गये जो खाली पाये गये। स्टॉक रजिस्टर मौके पर नहीं पाया गया। दुकान के बाहर मूल्य स्टॉक सूची का संधारण नहीं किया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई सहयोग नहीं कर अन्यत्र चला गया और जांच कार्यवाही में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। जिससे ताला तोड़कर सत्यापन किया गया। ग्राम चटावटी के उपभोक्ताओं के बयान अनुसार श्री बंशीलाल उचित मूल्य दुकानदार उपभोक्ताओं को राशनकार्ड में अंकित सदस्यों के अनुसार सही मात्रा में गेहूँ का वितरण नहीं करता है श्री कालूराम पिता श्री नारूलाल को तीन माह से गेहूँ का वितरण ही नहीं किया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार चटावटी श्री बंशीलाल नायक तथा पिकअप संख्या RJ 09 GA 9782 के मालिक/ड्राईवर श्री रतनलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल हींगड निवासी भीमगढ़ का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड 7,8,9 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 8 से 11 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री गेहूँ कुल मात्रा 6433.920 कि.ग्रा., केरोसीन 155 लीटर मय ड्रम एवं पिकअप नम्बर RJ 09 GA 9782 को राजसात कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बद्रीगिरि गोस्वामी एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलशेर अली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्तागण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैराकार सरकार सुनी गयी।

पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 के कालाबाजारी की सूचना मिलने पर मौके पर जांच की गई जिसमें मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर मूल्य स्टॉक सूची का संधारण नहीं कर रखा था। विपक्षी को जांच में सहयोग करने हेतु कहे जाने पर उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं करके वहां से अन्यत्र चला गया तथा मौके पर स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। बाद में विपक्षी से स्टॉक रजिस्टर प्राप्त कर जांच करने पर रजिस्टर दिनांक 08.10.16 तक संधारित किया हुआ, जिसमें 5835 कि. ग्रा. गेहूँ तथा 148 लीटर केरोसीन का स्टॉक अंकित है। दुकान के नियत गोदाम मे सत्यापन करने पर प्राप्त गेहूं की मात्रा 3474.100 कि.ग्रा. पाई गई जो कि स्टॉक रजिस्टर में अंकित शेष 5835 कि.ग्रा से 2360.900 कि.ग्रा. कम पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि नियत गोदाम के बाहर जो गेहूं पिकअप में भरा जा रहा था वह राशन का गेहूं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था, जो कालाबाजारी के लिये भरा जा रहा था। अतः जब्तशुदा गेहूं व अन्य सामग्री को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.10.2016 को कोई कालाबाजारी नहीं हो रही थी मौके पर पिकअप संख्या RJ 09 GA 9782 में 38 कट्टे भरे हुए नहीं पाए गए एवं न ही उक्त बारदान एफ. सी. आई. मार्का के थे। उपरोक्त सभी कट्टे नाथू पिता टोलु खारोल के मकान में नहीं होकर दुकान में थे। नाथू पिता टोलु खारोल के गोदाम का ताला तोड़कर गेहूं के 71 कटटे का तौल करवाया जो 3474.100 कि. ग्रा. था वे सभी कट्टे दुकान मे ही थे। केरोसीन व चीनी वितरण के 13 रजिस्टर खाली नहीं थे एवं स्टॉक रजिस्टर मौके पर ही था एवं दुकान के बाहर स्टॉक सूची भी लगी थी। मेरी तबियत खराब हो जाने से अपने ईलाज के लिए गया हुआ था, मेरी सहयोग नहीं करने की कोई भावना नहीं थी। अतः गोदाम से जब्त किया गया गेहूँ एवं केरोसीन मुझ विपक्षी को दिलाया जावे ताकि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से राशन वितरण किया जा सके।

विपक्षी संख्या 2 पिकअप RJ 09 GA 9782 के मालिक/ड्राईवर ने जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त वाहन सुबह से ही मौके पर खड़ा था उक्त वाहन में मेरी गैर मौजूदगी में कोई कट्टे रख दिये गये हो तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है तथा इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब्तशुदा सामग्री से विपक्षी संख्या 2 व उसके वाहन का कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रकरण को खारीज किये जाने का आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार, प्रवर्तन अधिकारी की बहस पर मनन किया। जब्तशुदा पिकअप संख्या RJ 09 GA 9782 को थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी के पत्रांक 5649-50 दिनांक 28.10.2016 अनुसार, पूर्व में दिनांक 26.10.2016 को न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपासन के आदेश की पालना में वाहन के पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री कमलेश को सिपुर्द किया जाकर रसीद प्राप्त की जा चुकी है।

चूंकि मौके पर पिकअप संख्या RJ 09 GA 9782 मे 38 कट्टे गेहूं के भरे हुए पाये गये जिनका वजन 2458.610 कि.ग्रा. तथा जिन पर एफ. सी. आई. मार्का पाया गया। किराये पर लिये गोदाम का ताला तोड़कर जांच करने पर वहां भी 71 कट्टे एफ. सी. आई. मार्का के पाए गए जिनका वजन 3474.100 कि.ग्रा. पाया गया। साथ ही नाथूलाल पिता टोलु खारोल के मकान में अवैध रूप से, नियत गोदाम के अलावा 8 कट्टे एफ. सी. आई. मार्का के जिनका वजन 500.310 कि. ग्रा. पाये गये। नियत गोदाम में केरोसीन एवं चीनी वितरण के 13 रजिस्टर पाए गऐ जिनमें वितरण का कोई इन्द्राज नहीं होकर खाली थे। दुकान पर स्टॉक सूची का संधारण नहीं होना तथा बाद में स्टॉक रजिस्टर लेकर जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 08.10.2016 तक 5835 कि. ग्रा. गेहूँ एवं 148 लीटर केरोसीन का स्टॉक अंकित था जबकि दौराने जांच मौके पर 2360.900 कि. ग्रा. गेहूं कम पाया गया तथा 7 लीटर केरोसीन ज्यादा पाया गया। ग्राम चटावटी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपभोक्ताओं ने भी श्री बंशीलाल उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को राशनकार्ड में अंकित सदस्यों के अनुसार सही मात्रा में गेहूँ का वितरण नहीं करने संबंधी कथन की पुष्टि की है। उक्त सभी तथ्य इस बात को बल देते हैं कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से भण्डारण करना एवं कालाबाजारी करना प्रमाणित पाया जाता है।

निष्कर्षतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूं 6433.920 कि. ग्रा. एवं 155 लीटर केरोसीन मय ड्रम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)